पत्रावली संख्या V-824

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2016/ V-824/ 60

दिनांकः 31.05.2016

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

M/s Urvi Homes Pvt. Ltd.,
D – 32, Main Vikas Marg, Laxmi Nagar,
New Delhi - 110092

आपके प्रार्थना पत्र **दिनांक 13.06.2014** के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तावित **संस्थागत(आई0टी0/आई0टी0ई0एस0)** भवन निर्माण की **भूखण्ड सं0 ए - 2/2, सैक्टर - 132, नौएडा** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे । वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैद्यता,पट्टे की वैद्यता तिथि तक समझा जायेगा ।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।

15. सन्दभति योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नही किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइडीलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूजल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भूजल संरक्षण एवं इसके उपयोग तथा उसके निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन करना होगा ।

16. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा - निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा ।

17. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनाँक 14-09-2006 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में संशोधित आपत्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

18. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish का अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल — 30,363.90 वर्ग मी0
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 30% — 9,109.17 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.0 — 60,727.80 वर्ग मी0
- ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 5% एफ0ए0आर0 — 3,036.39 वर्ग मी0
- कुल एफ0ए0आर0 — 63,764.19 वर्ग मी0

विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार हैः-

<table>
<tr><th>तल</th><th>अनुमन्य
एफ.ए.आर. क्षेत्रफल
(वर्ग मी0)</th><th>प्रस्तावित एफ.ए.आर.
क्षेत्रफल
(वर्ग मी0)</th></tr>
<tr><td>मीटर रूम</td><td rowspan="3">9109.17</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>भूतल</td><td>6366.32</td></tr>
<tr><td>प्रथम तल</td><td>5321.86</td></tr>
<tr><td>द्वितीय तल</td><td rowspan="12">शेष
एफ0ए0आर0</td><td>5296.66</td></tr>
<tr><td>तृतीय तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>चर्तुथ तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>पंचम तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>छटवां तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>सातवां तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>आठवां तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>नौवा तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>दसवां तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>ग्यारहवां तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>बारवां तल</td><td>3786.27</td></tr>
<tr><td>चौदहवां तल</td><td>3786.27</td></tr>
</table>

पन्द्रहवां तल		2785.53
सोलहवां तल		1941.84
सत्रहवां तल / टैरिस तल		360.93
कनेक्टिंग कोरीडोर - द्वितीय तल पर		19.82
कुल 5% अतिरिक्त ग्रीन एफ0ए0आर0 के साथ	**63,764.19**	**63,747.93**
तहखाना अपर तहखाना लोअर तहखाना		19,135.560 15,388.229 **34,523.789**
सेवा क्षेत्रफल		**9,033.10**
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, तहखाना, सेवा क्षेत्रफल सहित)	**= 63,747.93 + 34,523.789 + 9,033.10 = 1,07,304.819 वर्ग मीटर**	

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 7,700.45 वर्ग मी0 (25.36%)

प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 63,747.93 वर्ग मी0 (2.10)

प्रस्तावित आई0टी0 व आई0टी0ई0एस0 फेसेलिटीज हेतु एफ0ए0आर0 = 6064.30 वर्ग मी0 (9.98%)

सैटबेक विवरणः-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	प्रस्तावित (मी0)	तहखाना (मी)
अग्र	20.0	20.0	6.0
पृष्ठ	9.0	9.0	6.0
बाई साइड	9.0	9.0	6.0
दाई साइड	9.0	9.0	6.0

संलग्नक - भवन के स्वीकृत मानचित्र ।

Map for proposed Building is per Bye Laws. Submitted for approval please.

Asstt. Asstt. Arch Architect

नाम ....

पद ....

अशोक कुमार मिश्र
परि० नगर नियोजक
नोएडा

नोएडा

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी (संस्थागत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेकेट्री, स्टेट लेवल एन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०, डायरेक्टरेटे ऑफ एनवायरमेन्ट, डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1, गोमती नगर, लखनऊ - २२६०१०, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ ।